देहरादून,पौड़ी–गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित www.page3news.in नगर संस्करण वर्ष 14 अंक: 343 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार–प्रवाह...सनी
हिन्दुस्तानी छुपी हुई प्रतिभा

पेज थ्री

देहरादून, शनिवार, 29 फरवरी 2020

PAGE 3 PUBLICATION

मौसम अधिकतम 24.0° न्यूनतम 13.0°

38297.29

2 चीन के बाहर बढ़ कोरोना का प्रकोप

7 विराट एशिया इलेवन में खेलेंगे या नहीं!

सीएए पर दंगे करा रहा विपक्ष

■सीएए नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं: शाह

दिल्ली हिंसा को लेकर ओडिशा में बरसे गृहमंत्री अमित शाह

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

भुवनेश्वर। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर ओडिशा पहुंचे। इस दौरान शाह ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के समर्थन में राजधानी भुवनेश्वर में एक आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अपने 55 साल के शासन और 5 साल के बीजेपी शासन की तुलना कर ले। शाह ने यह भी कहा कि विपक्ष के लोग सीएए को लेकर भ्रांति फैला रहे हैं, लोगों को उकसा रहे हैं, दंगे करा रहे हैं। बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में बीते कुछ दिनों में सीएए को लेकर हिंसा भड़की थी। इस हिंसा में 38 लोगों की मौत हो चुकी है। शाह ने एक बार फिर जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि अगर किसी को भ्रम है कि सीएए से किसी की नागरिकता चली जाएगी तो उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि यह नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का नहीं। उन्होंने कहा, पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का वहां शोषण होता है, उन्हें परेशान किया जाता है, वे यहां भागकर आते हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलती। उन देशों से प्रताड़ित होकर स्वधर्म बचाने के लिए भारत आए लोगों को सीएए के माध्यम से नागरिकता दी जाएगी।

शाह ने आरोप लगाया कि सीएए को लेकर कांग्रेस और विपक्षी दल भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जवाहर लाल नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेताओं ने जो वादा किया था, केन्द्र की मोदी सरकार उस वादे को पूरा कर रही है। उन्होंने विपक्षी दलों को चुनौती देते हुए कहा कि वे बताएं कि सीएए के किस क्लॉज में नागरिकता लेने की बात है।

ओडिशा मेरा दूसरा घर

शाह ने कहा कि उनके लिए जैसे गुजरात है, वैसे ही ओडिशा भी है। उन्होंने कहा, श्मैं 5 साल तक पार्टी अध्यक्ष रहा हूं, अनेक बार ओड़िशा आया हूं और यहां के अनेक नगरों में घुमा हूं और कार्यकर्ताओं से मिला हूं। कभी भी ओड़िशा मुझे गुजरात से अलग नहीं लगा, मुझे अपना दूसरा घर लगा।श उन्होंने कहा कि मैं यहां पर पीएम मोदी का संदेश देने आया हूं कि 2024 से पहले ओडिशा के सभी लोगों को नल से शुद्ध पीने का पानी मिलेगा।

धुर विरोधियों का एक साथ लंच

इससे पहले ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की सभी नेताओं ने पटनायक के आवास पर साथ बैठकर लंच किया। दरअसल शुक्रवार को पूर्वी जोनल काउंसिल की 24वीं बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता गृहमंत्री अमित शाह ने की। बैठक के बाद ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने एक दूसरे के धुर विरोधी ममता बनर्जी और अमित शाह को अपने आवास पर दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया था।

संक्षिप्त समाचार

सुस्ती! आर्थिक वृद्धि दर 4.7 प्रतिशत रही

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा पिछले कुछ महीनों में किए उपायों का असर सामने आ रहा है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही (अक्टूबर–दिसंबर) में जीडीपी विकास दर मामूली बढ़कर 4.7 प्रतिशत रही है। इससे पहले, दूसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर महज 4.5 प्रतिशत रही थी, जो साढ़े छह सालों का निचला स्तर था। वित्त वर्ष 2018–19 की तीसरी तिमाही में जीडीपी विकास दर 5.6 प्रतिशत रही थी। कई वित्तीय एजेंसियों ने तीसरी तिमाही में विकास दर घटकर 4 प्रतिशत रहने का अनुमान जताया था।

बेघर लोगों को 9 रैन बसेरों में रुकने की व्यवस्था: केजरीवाल

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा के बाद की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केजरीवाल ने बताया कि हिंसा में जिनके घर जले हैं उन्हें शनिवार दोपहर से 25–25 हजार रुपये की मदद की जाएगी। साथ ही 9 रैन बसेरों और कम्यूनिटी सेंटर में बेघर लोगों को रुकने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर जरुरत हुई तो टेंट भी लगाए जाएंगे।

कन्हैया कुमार पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा, केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार और दो अन्य के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। दिल्ली सरकार ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। समाचार एजेंसी पीटीआई ने दिल्ली पुलिस के हवाले से ये जानकारी दी। इससे पहले सीएम केजरीवाल ने अभी हाल में कहा था कि राजद्रोह का केस चलाने की मंजूरी संबंधित फैसला जल्द ही लिया जाएगा। उन्होंने कहा था कि संबंधित विभाग को इसके लिए फैसला जल्द लेने को कहा जाएगा।

एसएन श्रीवास्तव बनाए गए दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। दिल्ली में हिंसा के बाद पुलिस की कमान बदल गई है। चार दिन पहले ही दिल्ली के स्पेशल पुलिस कमिश्नर बनाए गए एसएन श्रीवास्तव को अब नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी का नया कार्यकाल 1 मार्च से शुरू होगा। दिल्ली के मौजूदा पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा था, लेकिन उन्हें एक महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। सीआरपीएफ के तेज–तर्रार अफसर दिल्ली में में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपे जाने से पहले डीजी ट्रेनिंग थे। दो साल पहले तक जम्मू–कश्मीर के स्पेशल डीजी रहे एसएन श्रीवास्तव को घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के दौरान आर्मी के साथ काम करने के कौशल के लिए जाना जाता है।

दिल्ली हिंसा में 123 एफआईआर, 630 लोग अरेस्ट

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा में अब तक 43 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि 100 से अधिक घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इनमें से कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बीच दिल्ली पुलिस के पीआरओ एमएस रंधावा का बयान आया है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा में अब तक 123 एफआईआर दर्ज की गई है और 630 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं, हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में धारा–144 लागू है, तो कुछ इलाकों में अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ है।

कई इलाकों में धारा 144 लागू

पुलिस अधिकारियो ने किया दौरा: हिंसाग्रस्त इलाकों में पुलिस अधिकारी लगातार दौरा कर रहे हैं। कर्दमपुरी और कबीर नगर में पुलिस अधिकारियों ने दौरा कर लोगों से बातचीत की।

चांद बाग इलाके में पहुंची फोरेंसिक टीम: चांद बाग इलाके में फोरेंसिक टीम उस स्थान का निरीक्षण कर रही है, जहां पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के सिपाही अंकित शर्मा का शव 26 फरवरी को मिला था।

दिल्ली में 50 घंटे से हिंसा की कोई नई घटना नहीं: 3 दिन तक दंगाइयों के चलते हिंसा की चपेट में रही उत्तर पूर्वी दिल्ली शांति की ओर लौट रही है। पिछले 50 घंटे से हिंसा की कोई नई वारदात नहीं हुई है। वहीं, शुक्रवार को जुमे की नमाज के चलते दिल्ली पुलिस ने जगह–जगह कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं।

हिंसा में अब तक 43 लोगों की मौत, कई लोग घायल

धुएं का गुबार छंटने के बाद शहर में तीन दशक के सबसे भयावह दंगों से हुआ वास्तविक नुकसान अब सामने आ रहा है। दिल्ली हिंसा में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हिंसा में घायल अयूब नाम के शख्स की शुक्रवार सुबह पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि अयूब के साथ मारपीट 25 फरवरी को हुई थी, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है,जहां शुक्रवार सुबह 6 बजे अस्पताल में मौत हो गई।

हिंदुत्व पर अपना फैसला बदलेगा सुप्रीम कोर्ट?

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह हिंदुत्व के अपने पहले दिए गए फैसले पर फिर से विचार करने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई करेगा। शीर्ष अदालत ने 1995 में अपने फैसले में हिंदुत्व को भारतीय लोगों की जीवन शैली बताया था। चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा कि हिंदुत्व के फैसले पर पुनर्विचार वाली याचिकाएं दाखिल हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि जैसे ही सबरीमाला के की सुनवाई पूरी हो जाएगी वह इस मामले में सुनवाई शुरू करेंगे।

1992 से पेडिंग पड़े अभिराम सिंह मामले की पैरवी करते हुए वरिष्ठ वकील अरविंद दत्तार ने दलील दी कि बहुत से कैंडिडेट्स 1990 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में चुनावी अनाचार मामले में बरी हो गए हैं लेकिन मेरे मुवक्किल अभिराम सिंह पर अभी कोई फैसला नहीं आया है क्योंकि याचिका को तीन जजों की पीठ में भेज दिया गया, फिर 5 जजों की पीठ और इसके बाद 7 जजों के बेंच को भेज दिया गया है, जिसे यह फैसला करना है कि कैंडिडेंट के धर्म, संप्रदाय, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट मांगना अयोग्यता की श्रेणी में आता है या नहीं?

सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट हिंदुत्व पर दिए गए अपने फैसले पर सुनवाई करेगा

शीर्ष अदालत ने फैसले में यह कहा था

सुको का कहना था कि जब तक स्पीच किसी के प्रतिकूल या प्रत्यक्ष तौर पर हमला करने वाली न हो, उसमें प्रयोग हुए हिंदुत्व को हिंदू धर्म एवं हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों के लिहाज से नहीं माना जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि यह भी संभव है कि इन शब्दों का इस्तेमाल धर्मनिर्पेक्षता को बढ़ावा देने या भारतीयों की जीवनशैली बयां करने के लिए किया गया हो।

क्या है पूरा मामला

11 दिसंबर 1995 में जस्टिस जे. एस. वर्मा की बेंच ने फैसला दिया था कि हिंदुत्व शब्द भारतीय लोगों की जीवन शैली की ओर इंगित करता है। हिंदुत्व को सिर्फ धर्म तक सीमित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुत्व के इस्तेमाल को रिप्रजेंटेशन ऑफ पीपुल ऐक्ट की धारा–123 के तहत करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना था। 1995 के इस फैसले में हिंदुत्व को जीवन शैली बताया गया था और कहा था कि हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने से किसी उम्मीदवार पर प्रतिकूल असर नहीं होता।

टलेगी फांसी ? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा निर्भया का दोषी पवन

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। 2012 दिल्ली गैंगरेप केस में चौथे दोषी पवन कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटिशन दायर की है। 3 मार्च को फांसी से पहले पवन गुप्ता ने कोर्ट से अपनी मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने की अपील की है। पवन गुप्ता के वकील एपी सिंह ने कोर्ट में इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोषी ने अपनी मौत की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने का न्यायालय से अनुरोध किया है।

ट्रायल कोर्ट ने निर्भया केस के चारों दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए तीन मार्च का डेथ वारंट जारी किया हुआ है।

Are you Planning to make a Website or already have ?
If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Contact:
Gadoli Media Ventures
Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. | Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in